संख्या-15 / 2019 / 332 / 46-1-19-1000(56) / 2014

प्रेषक,

कमल किशोर गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक **19** मार्च, 2019

विषय- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2018-19 की कार्ययोजना के सापेक्ष कृषि विभाग द्वारा **हाईक्वाल्टी शुगरकेन फाउन्डेशन शीड एण्ड प्राईमरी शीड प्रोडेक्शन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम हेतु रु. 1030.74 लाख** के व्यय/उपयोग की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-कैं./1532/सी/रा0कृ.वि.योजना/विकास/18-19, दिनांक 11.03.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-159/12-3-2019-100(43)/2017, दिनांक 05 मार्च, 2019 के द्वारा निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृतियों के व्यय/उपयोग की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विभाग (नोडल विभाग) द्वारा मुख्य सचिव, उ.प्र. की अध्यक्षता वाली एस.एल.एस.सी. द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष गन्ना विकास विभाग के हाईक्वाल्टी सुगरकेन फाउन्डेशन शीड एण्ड प्राईमरी शीड प्रोडेक्सन एण्ड डिस्ट्रीब्यूसन प्रोग्राम हेतु, वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रु. 1030.74 लाख (रुपये दस करोड़ तीस लाख चौहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति विषयक कृषि अनुभाग-3 शासनादेश संख्या-159/12-3-2019-100(43)/2017, दिनांक 05 मार्च, 2019 के माध्यम से अवमुक्त की गयी उक्त धनराशि से, इस पत्र के संलग्नक में दिये गये जनपदवार/कार्यक्रमवार फॉट/कार्ययोजना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 में गन्ना विकास विभाग के हाईक्वाल्टी सुगरकेन फाउन्डेशन शीड एण्ड प्राईमरी शीड प्रोडेक्सन एण्ड डिस्ट्रीब्यूसन प्रोग्राम हेतु, निम्नलिखित शर्तो के अधीन, उपयोग/व्यय किये जाने की एतद्द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति /अनुमति प्रदान की जाती हैः-

(1) प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का व्यय कृषि विभाग के उक्त शासनादेश संख्या-159/12-3-2019-100(43)/2017, दिनांक 05 मार्च, 2019 में दिये गये शर्तो/प्राविधानों के अनुसार समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासन/कृषि विभाग एवं अन्य सम्बन्धित को प्रमाणिक सूचनाएं/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।

(2) गन्ना विभाग द्वारा संचालित संलग्न कार्यक्रमों का संचालन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-2077सी0डी0/46-3-13-1000(74)/2012 दिनांक 31 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-2331सी0डी0/46-3-13-1000(74)/2012 दिनांक 22 नवम्बर, 2013 तथा शासनादेश संख्या-1492 सी0डी0/46-3-23-1000(72)/2012 दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तो (गाइड लाईन्स) के आधार पर क्रियान्वित की जायेगी।

(3) गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित जनपदवार/योजनावार कार्यक्रमों को संलग्न विवरण के अनुसार वर्ष 2018-19 के वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप उपयोग किया जाय तथा सम्पन्न कार्यक्रमों की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

समुचित पुष्टि कराते हुए यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजना अन्तर्गत लाभार्थियों को दी जा रही सब्सिडी/सहायक अनुदान में वर्तमान तथा भविष्य की अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/दृविरावृत्ति न हो। इस हेतु समस्त उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी एवं अपर गन्ना आयुक्त (विकास) का होगा।

(4) प्रस्तर-2 में वर्ष 2018-19 के लिए अनुमोदित कार्ययोजना के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा यदि धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित कर दिया जाय। तद्नुसार उपयोग की गयी धनराशि का कार्यक्रमवार/जिलावार विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(5) गन्ना विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत संचालित संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल/फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के कृषि एवं अन्य विभागों के द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/नियमो एवं गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(कमल किशेर गुप्त)

संयुक्त सचिव।

संख्या-15**/2019/332(I)46-1-19-1000(56)/2014, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, कृषि विभाग उ.प्र. शासन।
2- अपर गन्ना आयुक्त(विकास)/वित्त नियन्त्रक, गन्ना आयुक्त कार्यालय, उ.प्र.।
3- निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र., लखनऊ।
4- निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर।
5- समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
6- समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ.प्र.।
7- विशेष सचिव, कृषि अनुभाग-3, उ.प्र. शासन।
8- समस्त जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी**(संलग्नक में उल्लिखित जनपद के अनुसार)**
9- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ.प्र. **(संलग्नक में उल्लिखित जनपद के अनुसार)**
10- नोडल अधिकारी(आर.के.वी.वाई.), उ.प्र. कृषि भवन लखनऊ।
11- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2
12- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-15/2019/332/46-1-19-1000(56)/2014 लखनऊ:दिनांक 19 मार्च,2019 का संलग्नक।

(धनराशि रु० में)

क्र०सं०	नाम जनपद	आधार पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम			प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम			योग			कुल योग
		सामान्य	अनुसूचित जाति	जनजाति	सामान्य	अनुसूचित जाति	जनजाति	सामान्य	अनुसूचित जाति	जनजाति	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	सहारनपुर	694650	0	0	3785675	312000	0	4480325	312000	0	4792325
2	मुजफ्फरनगर	795750	183350	0	5037150	1356950	0	5832900	1540300	0	7373200
3	शामली	482350	0	0	6906275	742750	0	7388625	742750	0	8131375
	योग मण्डल	**1972750**	**183350**	**0**	**15729100**	**2411700**	**0**	**17701850**	**2595050**	**0**	**20296900**
4	मेरठ	47150	0	0	2669525	70325	0	2716675	70325	0	2787000
5	बागपत	191550	0	0	3090850	0	0	3282400	0	0	3282400
6	गाजियाबाद	170250	0	0	745855	0	0	916105	0	0	916105
7	हापुड़	128650	0	0	889350	23950	0	1018000	23950	0	1041950
8	बुलन्दशहर	226250	20700	0	2276050	499600	0	2502300	520300	0	3022600
	योग मण्डल	**763850**	**20700**	**0**	**9671630**	**593875**	**0**	**10435480**	**614575**	**0**	**11050055**
9	मुरादाबाद	36300	0	0	1459125	141000	0	1495425	141000	0	1636425
10	रामपुर	152850	1500	0	1174125	202850	0	1326975	204350	0	1531325
11	अमरोहा	194750	25650	0	5614700	598625	0	5809450	624275	0	6433725
12	बिजनौर	0	0	0	608150	76425	0	608150	76425	0	684575
13	सम्भल	38550	1100	0	846025	215425	0	884575	216525	0	1101100
	योग मण्डल	**422450**	**28250**	**0**	**9702125**	**1234325**	**0**	**10124575**	**1262575**	**0**	**11387150**
14	बरेली	352250	2150	0	3341625	305500	0	3693875	307650	0	4001525
15	बदायू	130250	57300	0	1141575	7625	0	1271825	64925	0	1336750
16	पीलीभीत	690050	200200	0	2075025	565200	0	2765075	765400	0	3530475
17	शाहजहाँपुर	200200	60000	0	1837100	467625	0	2037300	527625	0	2564925
18	कासगंज	148150	6350	0	958175	240075	0	1106325	246425	0	1352750
19	मथुरा	8100	2000	0	0	0	0	8100	2000	0	10100
20	अलीगढ	334000	9450	0	1534950	384950	0	1868950	394400	0	2263350
	योग मण्डल	**1863000**	**337450**	**0**	**10888450**	**1970975**	**0**	**12751450**	**2308425**	**0**	**15059875**
21	लखीमपुर	0	0	3500	4158475	1024075	18250	4158475	1024075	21750	5204300
22	सीतापुर	0	1900	0	3795175	1111900	0	3795175	1113800	0	4908975
23	रायबरेली	18200	0	0	151950	24225	0	170150	24225	0	194375

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

24	फरूर्खाबाद	48350	8900	0	403625	105150	0	451975	114050	0	566025
25	हरदोई	132900	5900	0	1697375	3925	0	1830275	9825	0	1840100
26	कानपुर	6500	0	0	90000	20900	0	96500	20900	0	117400
	योग मण्डल	**205950**	**16700**	**3500**	**10296600**	**2290175**	**18250**	**10502550**	**2306875**	**21750**	**12831175**
27	अयोध्या	774550	202150	0	4009525	1005875	0	4784075	1208025	0	5992100
28	सुल्तानपुर	191950	0	0	471350	8575	0	663300	8575	0	671875
29	बाराबंकी	250750	30600	0	589200	79350	0	839950	109950	0	949900
30	जौनपुर	31250	0	0	196550	0	0	227800	0	0	227800
31	गाजीपुर	28150	900	0	155675	15900	0	183825	16800	0	200625
32	वाराणसी	13500	6200	0	125500	3550	0	139000	9750	0	148750
33	अम्बेडकरनगर	107900	0	0	863975	0	0	971875	0	0	971875
	योग मण्डल	**1398050**	**239850**	**0**	**6411775**	**1113250**	**0**	**7809825**	**1353100**	**0**	**9162925**
34	गोण्डा	435200	0	0	2971750	152900	0	3406950	152900	0	3559850
35	बलरामपुर	719100	10550	4000	3831625	162050	56500	4550725	172600	60500	4783825
36	बहराईच	237200	0	13750	1110925	33925	32500	1348125	33925	46250	1428300
	योग मण्डल	**1391500**	**10550**	**17750**	**7914300**	**348875**	**89000**	**9305800**	**359425**	**106750**	**9771975**
37	गोरखपुर	303100	73200	0	479325	110700	0	782425	183900	0	966325
38	बस्ती	404250	0	0	2418550	196400	0	2822800	196400	0	3019200
39	महराजगंज	620400	0	0	582825	147170	0	1203225	147170	0	1350395
40	सिद्धार्थनगर	8150	1100	0	80625	8550	0	88775	9650	0	98425
	योग मण्डल	**1335900**	**74300**	**0**	**3561325**	**462820**	**0**	**4897225**	**537120**	**0**	**5434345**
41	कुशीनगर	461800	0	0	2805800	243600	0	3267600	243600	0	3511200
42	देवरिया	69800	18250	0	399825	100725	0	469625	118975	0	588600
43	मऊ	185400	450	0	511625	11700	0	697025	12150	0	709175
44	बलिया	22450	5800	0	131175	35025	0	153625	40825	0	194450
45	आजमगढ	666850	27500	0	2279350	102475	0	2946200	129975	0	3076175
	योग मण्डल	**1406300**	**52000**	**0**	**6127775**	**493525**	**0**	**7534075**	**545525**	**0**	**8079600**
	योग प्रदेश	**10759750**	**963150**	**21250**	**80303080**	**10919520**	**107250**	**91062830**	**11882670**	**128500**	**103074000**

(रूपये दस करोड़ तीस लाख चौहत्तर हजार मात्र)

नोटः–जनपद शामली, हापुड, सम्भल तथा अम्बेडकरनगर को आवंटित धनराशि क्रमशः जिला गन्ना अधिकारी मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद तथा अयोध्या द्वारा आहरित कर संबंन्धित जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा।

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in